



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.एल.-अ.-08102026-276955
CG-KL-E-08102026-276955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5283]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 5283]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिणी रेलवे)

अधिसूचना

एन/कुलम, 24 सितम्बर, 2026

का.आ. 5495(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 2 के खंड (7A) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में बताए गए अधिकारियों को "सक्षम प्राधिकारी" के तौर पर अधिकृत करती है। ये अधिकारी उक्त अधिनियम के तहत उस प्राधिकारी के रूप में काम करेंगे। यह आदेश सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा और केरल राज्य में उन विशेष रेलवे परियोजनाओं पर लागू होगा जो तालिका के कॉलम (4) में बताए गए जिलों से संबंधित हैं। यह आदेश इन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के कार्यान्वयन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए लागू होगा।

तालिका

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	सक्षम प्राधिकारी	ज़िला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आलप्पुषा से अंबलप्पुषा के बीच ट्रैक का दोहरीकरण - 12.66	विशेष उप कलेक्टर, & CALA, आलप्पुषा	आलप्पुषा	केरल
2	तुरावुर से मारिरिकुलम के बीच ट्रैक का दोहरीकरण - 21.10 किमी	विशेष उप कलेक्टर, & CALA, आलप्पुषा	आलप्पुषा	केरल
3	आलप्पुषा से मारारिकुलम के बीच ट्रैक का दोहरीकरण - 10.65 किमी	विशेष उप कलेक्टर, & CALA, आलप्पुषा	आलप्पुषा	केरल
4	पलक्कड़ टाउन से पार्ली बाईपास लाइन- 1.80 किमी	विशेष उप कलेक्टर, & CALA, पलक्कड़	पलक्कड़	केरल

[Computer No: 638096/फा. सं. SR-CNER0LND(ACQ)/12/2026-O/O CHOS/LAND/CN/ERS/SR]

विजय पाण्डेय, मुख्य इंजीनियर (उत्तर)/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAY

(Southern Railways)

NOTIFICATION

Ernakulam, the 24th September, 2026

S.O. 5495(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Amendment Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (3) of the Table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Projects in the State of Kerala relating to Districts mentioned in Column (4) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of land acquisition in such Railway Project.

TABLE

S.No.	Name of Project	Competent Authority	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Doubling of track between Alappuzha to Ambalappuzha - 12.66	Special Deputy Collector & CALA, Alappuzha	Alappuzha	Keralam
2	Doubling of track between Turavur to Maririkulam- 21.10 km.	Special Deputy Collector & CALA, Alappuzha	Alappuzha	Keralam
3	Doubling of track between Alappuzha to Mararikulam- 10.65 Km	Special Deputy Collector & CALA, Alappuzha	Alappuzha	Keralam
4	Palakkad Town to Parli Bypass Line-1.80 Km	Special Deputy Collector & CALA, Palakkad	Palakkad	Keralam

[Computer No: 638096/F. No. SR-CNER0LND(ACQ)/12/2026-O/O CHOS/LAND/CN/ERS/SR]

VIJAY PANDEY, Chief Engineer(North)/ Construction